भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2390
दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

महामारी के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध किए गए साइबर अपराध

2390. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटील:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020 से महामारी के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध किए गए कितने साइबर अपराध सामने आए हैं, तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार बच्चों और महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम करने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है;
(ग) क्या सरकार की डिजिटल फॉरैंसिक्स को नियंत्रित करने और विशेषरूप से महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध किए गए साइबर अपराधों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन अभिकरणों को प्रशिक्षित करने की मंशा है;
(घ) क्या सरकार ने बच्चों के विरूद्ध बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए किसी समिति का गठन या अभिकरण स्थापित किया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ''भारत में अपराध'' में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकडे संकलित और प्रकाशित करता है । नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 के लिए है । वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले साइबर अपराधों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है ।

(ख) से (ड.) ''पुलिस'' और ''कानून व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने अपने कानून प्रवर्तक अभिकरणों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अन्य सभी अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, अन्वेषण और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होते है। ये कानून प्रवर्तन अभिकरण अपराधियों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही करते है। केंद्र सरकार उनके क्षमता निर्माण के लिए परामर्शों तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों की पहलों को समर्थन देते है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आनलाइन प्लेटफार्म पर महिलाओं और छोटे बच्चों की समस्या को कम करने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु गृह मंत्रालय (एमएचए), इलैक्ट्रानिकस और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ मामले को उठाता है। पर्याप्त सुरक्षा के साथ आनलाइन की दुनिया में बातचीत में बच्चों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय से साइबर सुरक्षा से संबंधित उचित सामग्री को बच्चों के स्कूली पाठयक्रम में शामिल करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीबीएसई) को आवश्यक निदेश जारी

करने तथा उनके स्कूल बोर्डों के माध्यम से ऐसा करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने का अनुरोध किया गया था।

महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों सहित साइबर अपराधों के साथ व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत बनाने हेतु, केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कई कदम उठाए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

I. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67बी में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के प्रकाशन, प्रेषण या आनलाइन देखने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है ।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थता दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया ईथिक्स कोड) नियम 2021 मध्यस्थों के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उनकी सुरक्षा के लिए उतरदायी बनाता है । ये नियम मध्यस्थों से शिकायतों के समयबद्ध निपटारे सहित एक सुदृढ शिकायत निपटारा तंत्र अपनाने की अपेक्षा करता है मध्यस्थों को अपनी शर्तों और निबंधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें उपयोगकर्ताओं को कोई भी ऐसी सूचना मेजबानी, प्रदर्शन, अपलोड, संशोधन, प्रकाशन, प्रेषण अद्यतन या साझा करने की सूचना देना जो कि अन्य बातों के साथ-साथ हानिकारक, मानहाविकारक, अश्लील, किसी अन्य व्यक्ति की निजता का हनन करने वाली, किसी भी रूप से नाबालिगों को हानि पहुंचाने वाली या किसी भी रूप से गैर कानूनी हो, शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थतों से न्यायालय के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार द्वारा नोटिस के माध्यम से या अपने प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से उनके संज्ञान में लाई जाने वाली किसी भी ऐसी सूचना को हटाने की आशा भी की जाती है जो भारत के किसी कानून का उल्लंघन करती हो। इसके अतिरिक्त ये नियम महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (एसएसएमआई) से बाल यौन शोषण सामग्री को अति सक्रिय रूप से चिन्हित करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपाय करने का प्रयास करने की अपेक्षा भी करते हैं ।

III. सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एलईए के लिए अवसंरचना और आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) की स्थापना की है ।

IV. निर्भया निधि के अंतर्गत, सरकार परियोजना अर्थात ''महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण'' का कार्यान्वयन करती है जिसके माध्यम से साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु कदम उठाना, सर्तकता/सलाहकार पत्र/ क्षमता निर्माण/ कानून प्रवर्तक कर्मचारियों/ अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, साइबर विज्ञान सुविधाओं में सुधार आदि के लिए कदम उठाए जाते है ।

V. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोटिंग पोर्टल (www.cybercrime.gob.in) की शुरूआत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुए साइबर अपराधों की घटनाओं की सूचना देने हेतु जनता को सक्षम बनाने के लिए परियोजना के एक भाग के रूप में की गई है ।

VI. आनलाइन होने वाली साइबर शिकायतों को दर्ज करवाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक टॉल फ्री नंबर, 1930 (पूर्व 155260) प्रचालित किया गया है । राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल पर दर्ज होने वाली घटनाओं को आगे की कार्यवाही के लिए घटना की रिपोर्ट में आवेदक द्वारा की गई सूचना के आधार पर संबंधित राज्यों को स्वत: ही भेज दिया जाता है ।

VII. अन्वेषण और अभियोजन के बेहतर संचालन हेतु एलईए कर्मचारियों, अभियोजको और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रम तैयार किया गया है । 19600 से भी अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध निवारण स्कीम के अंतर्गत साइबर अपराध जागरूकता, अन्वेषण, फोरेंनसिक आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

VIII. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) के तत्वाधान में, एनसीआरडी ने राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी) की स्थापना की है और सभी एलईए, अभियोजको, न्यायाधीशों तथा अन्य हितधारकों को साइबर अपराध अन्वेषण के लिए पेशेवर गुणवत्तापरक ई-लरनिंग पाठयक्रम का प्रस्ताव देने के लिए एक व्यापक खुला आनलाइन पाठयक्रम (एनओओसी) प्लेटफार्म विकसित किया है। सभी हितधारक साइबर अपराधों को नियंत्रित करने संबंधी आनलाइन प्रशिक्षण पाठयक्रमों तक पहुंच के लिए साइबर प्रशिक्षण पोर्टल (https//cytrain.ncrb.gov.in) पर दर्ज कर सकते हैं और स्वयं ही इन्हें पूरा भी कर सकते हैं। भागीदारों को पाठयक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात ई-प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है ।

IX. साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं जिनमें ट्विटर हैंडल, @साइबर दोस्ट, रेडियो अभियान, किशोरों/विद्यार्थियों के हैंडबुक का प्रकाशन के माध्यम से साइबर अपराध से संबंधित संदेशों का प्रसारण शामिल है ।

X. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) ने इंटरनेट के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग पर स्कूलों को दिनांक 18.08.2017 को दिशानिर्देश जारी किए हैं । इस परिपत्र में स्कूलों को प्रभावी फायरवाल लगाने, सभी कम्पयूटरों में साफ्टवेयर तंत्रों की फिलटरिंग और निगरानी तथा प्रभावी सुरक्षा नीतियों बनाने का निदेश दिया गया है ।

XI. इलैक्ट्रौनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक कार्यक्रम अर्थात् सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हुए डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं और बच्चों सहित उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता का सृजन कर रहा है । सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए समर्पित वेबसाइट (https//www.infosecawareness.in) में संबंधित जागरूकता सामग्री की व्यवस्था की गई है ।

XII. सरकार ने डायनामिक आधार पर इंटरनेट वाच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ), यूके या परियोजना अराचनित, सीएसएएम वेबसाइट/वेबपेज की कनाडा सूची को कार्यान्वित करने तथा इन बाल अश्लीलता वेबपेजों/वेबसाइटों तक पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश देते हुए संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को आदेश जारी किया है ।

XIII. दूरसंचार विभाग ने ई-मेल, इनवाइस, एसएमएस, वेबसाइट आदि के माध्यम से अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में पेरेंटल कन्ट्रोल फिल्टर के उपयोग के बारे में अपने सबस्क्राइबरों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था करने हेतु सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से अनुरोध किया है ।

XIV. एनसीएमईसी से आनलाइन बाल अश्लीलता और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया और नेशनल सेटर फार मिसिंग एंड एक्सप्लेटिस चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । एनसीएमईसी से प्राप्त टिपलाइनों को आगे की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आनलाइन साझा किया जाता है ।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में इंटरनेट के माध्यम से की गई झूठी फोन कॉलों (सीएसीआईएस) तथा संदेशों की समस्या से निपटने का प्रावधान किया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी में प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए तीन वर्ष तक के कारावास के दंड और जुर्माने की व्यवस्था की गई है ।

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम में बाल शोषण की समस्या को कम करने के लिए प्रभावी प्रावधान शामिल हैं । इस अधिनियम में अनिवार्य रूप से सूचना देने, कथन और साक्ष्य की रिकार्डिंग के बाल हितैषी प्रावधानों तथा मामलों के तीव्र विचारण की व्यवस्था की गई है ।

अपराधों की गंभीरता के अनुसार बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए पोक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत पर्याप्त विधिक दंडात्मक प्रावधान शामिल है ।

*****

अनुलग्नक

महामारी के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध किए गए साइबर अपराध विषय पर श्रीमती रजनी अशोकराव पाटील तथा श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के भाग (क) में सदर्भित विवरण

2020 के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले साइबर अपराध के अंतर्गत दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला	बच्चे
1	आंध्र प्रदेश	375	52
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0
3	असम	1071	45
4	बिहार	47	1
5	छत्तीसगढ	117	21
6	गोवा	19	3
7	गुजरात	277	32
8	हरियाणा	222	33
9	हिमाचल प्रदेश	52	19
10	झारखंड	20	4
11	कर्नाटक	2859	144
12	केरल	246	126
13	मध्य प्रदेश	274	39
14	महाराष्ट्र	1632	207
15	मणिपुर	26	3
16	मेघालय	39	0
17	मिजोरम	1	0
18	नागालैंड	2	0
19	उड़ीसा	560	71
20	पंजाब	110	10
21	राजस्थान	238	24
22	सिक्किम	0	0
23	तमिलनाडु	306	35
24	तेलंगाना	649	9
25	त्रिपुरा	3	0
26	उत्तर प्रदेश	749	197
27	उत्तराखंड	72	11
28	पश्चिम बंगाल	344	6
	कुल राज्य	**10311**	**1092**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1
30	चंडीगढ़	10	3
31	दादर व नगर हवेली और दमन और दीव	3	0
32	दिल्ली	51	5
33	जम्मू और कश्मीर	25	1
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	2	0
36	पुद्दुचेरी	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र (एस)	**94**	**10**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**10405**	**1102**